रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 123] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 1985/फाल्गुन 24, 1906

No. 123] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 1985/PHALGUNA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, 15 मार्च, 1985

अधिसूचना

का॰ आ॰ 192 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) एक सौ सतासठवां संशोधन नियम, 1985 होगा।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में,—

(क) प्रथम अनुसूची में,—

(i) शीर्ष "17क-संसदीय कार्य मंत्रालय" के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और उप-शीर्ष अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"17कक. कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय";

(i) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग,

(ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग,

(iii) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग।";

(ii) शीर्ष "30. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" का लोप किया जाएगा ।

(ख) द्वितीय अनुसूची में,—

(i) शीर्ष "संसदीय कार्य मंत्रालय" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय :

क. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

I. सेवाओं में भर्ती, प्रोन्नति और मनोबल

1. नागरिकों के कतिपय वर्गों के लिये सेवाओं में पदों का आरक्षण।

2. रेल सेवाओं और परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, अन्तरिक्ष विभाग के नियंत्रणाधीन सेवाओं और रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रणाधीन वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के सिवाय, केन्द्रीय सेवाओं से संबंधित भर्ती, प्रोन्नति और ज्येष्ठता संबंधी साधारण प्रश्न ।

3. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये आयु-सीमाओं, स्वास्थ्य मानकों, शैक्षिक अर्हताओं तथा तकनीकी डिग्रियों/डिप्लोमाओं की मान्यता की बाबत साधारण नीति ।

4. रेल सेवाओं से भिन्न सेवाओं के संबंध में पदों के वर्गीकरण और राजपत्रित हैसियत प्रदान करने के संबंध में साधारण नीति विषयक मामले।

5. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा, विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के सिवाय, भारत सरकार के सचिवालय और उसके संलग्न कार्यालयों के लिये अनुसचिवीय कर्मचारियों की भर्ती।

6. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के सिवाय, भारत सरकार के अधीन सिविल पदों पर अभारतियों की नियुक्ति ।

7. विभिन्न देशों से आने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नियोजन संबंधी सहायता देने की बाबत साधारण नीति ।

8. सिविल पदों और सेवाओं में नियुक्ति की बाबत युद्ध सेवा-अभ्यर्थियों को रियायतें।

9. जो क्षेत्र इस समय पाकिस्तान में है उन क्षेत्रों से आने वाले विस्थापित सरकारी सेवकों और छंटणी किये गये अस्थायी कर्मचारियों के पुनः स्थापन के संबंध में साधारण नीति।

10. लोक सेवाओं में प्रथम नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के विषय में राजनीतिक पीड़ितों को रियायतें।

11. अधिवर्षिता प्राप्त अधिकारियों के सेवा-विस्तारण और पुनर्नियोजन के संबंध में साधारण नीति।

12. भारतीय नागरिकों से भिन्न व्यक्तियों की बाबत, संघ के अधीन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिये पात्रता के प्रमाणपत्र देना ।

13. (क) विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अधीन और द्विपक्षीय आधार पर विदेशस्थ भारतीय विशेषज्ञों की एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों में प्रतिनियुक्ति।

(ख) संयुक्त राष्ट्रसंघ और उसके सहबद्ध अभिकरणों के साथ तथा आई.एल.ओ., एफ.ए.ओ. इत्यादि जैसे उसके अन्य अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ नियोजन के लिये अधिकारियों की प्रति नियुक्ति ।

14. सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त उपयुक्तता संबंधी सत्यापन विषयक साधारण नीति।

15. उच्चतर पदों के लिये रोजगार कार्यालयों में ऐसे कार्मिकों के रजिस्ट्रीकरण के लिये, जो सेवा में हों आपत्ति न होने संबंधी प्रमाण पत्रों को जारी करने के संबंध में नीति विषयक मामले।

16. मंत्रियों के वैयक्तिक कर्मचारिवृन्द संबंधी मामले।

17. निम्नलिखित के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अधिशेष हो गये कर्मचारियों का पुनः अधिनियोजन :—

(i) प्रशासनिक सुधार;

(ii) कर्मचारिवृन्द निरीक्षण एकक द्वारा किये गये अध्ययन ;

(iii) दीर्घकालिक किन्तु अस्थायी संगठनों का परिसमापन ।

18. मंत्रालयों के नियंत्रणाधीन विभिन्न काडरों के समुचित प्रबंध के संबंध में मंत्रालयों को सलाह ।

II. प्रशिक्षण

19. (क) अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के लिये प्रशिक्षण नीतियां तैयार करना और उनका समन्वय ।

(ख) लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(घ) प्रशिक्षण संबंधी सामग्री का और प्रशिक्षण तकनीकों, सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन।

(ङ) राज्यों के भीतर की तथा विदेशों की प्रशिक्षण संस्थाओं के साथ सम्पर्क।

(च) मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधकगण के स्तरों के लिये पुनश्चर्या तथा विशेष पाठ्यक्रम।

III. सतर्कता और अनुशासन

20 (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947; केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जिसके अन्तर्गत विधिक प्रभाग, तकनीकी प्रभाग, नीति प्रभाग, और प्रशासन प्रभाग आते हैं); खाद्य संबंधी अपराधों की शाखा ; और आर्थिक अपराध शाखा।

(ख) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा अन्वेषित किसी अपराध के लिये किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त उस दशा में मंजूरी देना जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाये।

टिप्पणी :—किसी ऐसे अपराध के लिये जिसका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा न किया गया हो, किसी व्यक्ति के अभियोजन के निमित्त मंजूरी प्रशासन विभाग द्वारा उस दशा में दी जाएगी।

जबकि यह अपेक्षित हो कि ऐसी मंजूरी केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाये।

(ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ।

(घ) लोक सेवकों के मध्य सतर्कता और अनुशासन संबंधी सभी नीति विषयक मामले ।

(ङ) संसद सदस्यों और प्रशासन के बीच संबंध ।

IV. सेवा की शर्तें

21. रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग और अन्तरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन सेवाओं के सिवाय, अखिल भारतीय और संघ लोक सेवाओं संबंधी साधारण प्रश्न (उनसे भिन्न जिनका वित्त से संबंध है), जिनमें आचरण-नियम भी आते हैं।

22. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (रेल मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, इलेक्ट्रानिकी विभाग, अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण के अधीन कर्मचारियों तथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के नियंत्रण के वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों को छोड़कर) की वे सेवा-शर्तें, जो उनसे भिन्न हैं जिनका वित्त से संबंध है और जिनका विस्तार वहां तक है जहां तक उनसे सेवा के साधारण हितों के प्रश्न उत्पन्न होते हैं।

23. (क) मूल नियमों, अनुपूरक नियमों और सिविल सेवा नियमों सहित (लेकिन इसमें पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं आते हैं) सभी सेवा नियमों का निम्नलिखित को छोड़कर प्रशासन :—

(i) कर्मचारियों के वेतन ढांचे के पुनरीक्षणों से संबंधित प्रस्ताव;

(ii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षणों के लिये प्रस्ताव;

(iii) वेतन आयोग की नियुक्ति, सिफारिशों का प्रसंस्करण और उनका कार्यान्वयन;

(iv) मंहगाई भत्ता और अन्य प्रतिपूरक भत्ते और यात्रा भत्ते;

(v) सेवा शर्तों अथवा महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले अनुषंगी हितलाभों के रूप में सरकारी कर्मचारियों को कोई नई सुविधा;

(vi) प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामले।

(ख) सेवा-शर्तें और महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थों वाले, अनुषंगी हितलाभों के रूप मे सरकारी कर्मचारियों को नई सुविधा के लिये प्रस्तावों का उपक्रमण।

(ग) खंड (क) की मद (6) में उल्लिखित प्रमुखतः वित्तीय प्रकृति के सेवा नियमों सहित सेवा नियमों में संशोधनों से संबंधित मामलों में भारत सरकार के औपचारिक आदेश जारी करना।

(घ) दीर्घावधि वित्तीय निहितार्थों वाले किन्हीं भी सेवा नियमों का वित्त मंत्रालय के परामर्श से शिथिलन और उदारीकरण।

24 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान।

25. रेल कर्मचारियों से भिन्न सिविल कर्मचारियों के लिये छुट्टी यात्रा सुविधाएं।

26. केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1949।

27. रेल मंत्रालय के अधीन अस्थायी सरकारी सेवकों के सिवाय, ऐसे सेवकों की छंटनी और प्रत्यावर्तन संबंधी साधारण नीति।

28. केन्द्रीय सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा को निरापद करना) नियमों का प्रशासन।

29. केन्द्रीय सचिवालय और उससे संलग्न कार्यालयों में वर्ग 4 तथा अन्य सरकारी सेवकों के लिये वर्दियां।

30. भारत सरकार के कार्यालयों के लिये काम के घंटे और अवकाश-दिन।

31. ऐसे सेवा नियमों का प्रशासन जिनमें वित्त मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्टतः प्रत्यायोजित वित्तीय बातें हों।

32. वित्त मंत्रालय की बाबत ऐसी प्रस्थापनाओं पर सलाह जिनका संबंध किसी सेवा के पदों की संख्या या श्रेणी से अथवा उसकी सदस्य संख्या से अथवा सरकारी सेवकों के वेतन और भत्तों से अथवा उनकी सेवा की अन्य किन्हीं ऐसी शर्तों से हो जिनमें वित्तीय प्रश्न निहित हों।

33. सरकारी सेवकों द्वारा किये गये विधिक व्ययों की प्रतिपूर्ति के संबंध में साधारण नीति।

34. पदेन सचिवालय हैसियत प्रदान करने के लिये प्रस्थापनायें।

35. सिविल पदों पर व्यक्तियों की अवैतनिक नियुक्तियां।

36. संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ।

V. ज्येष्ठ और मध्यमवर्गीय प्रबंधन

37. ज्येष्ठ प्रबंधन (अर्थात् संयुक्त सचिव और उनसे ऊपर तथा उनके समकक्षों) के सभी पहलू, जिनके अन्तर्गत उनके लिये कार्मिकों की अभिवृद्धि भी है।

38. (क) भारत सरकार का स्थापना अधिकारी।

(ख) मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति।

(ग) केन्द्रीय स्थापना बोर्ड।

(घ) मध्यवर्गीय प्रबंधकगण (निदेशकों, उप सचिवों और अवर सचिवों तथा उनके समकक्षों) के भविष्य का विकास।

VI. सरकार-कर्मचारी संबंध जिनके अन्तर्गत कर्मचारीवृन्द की शिकायतें और कल्याण भी हैं।

39. (क) भारत सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के सेवा संगम।

(ख) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र; कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के लिये विभागीय परिषद्।

(ग) कर्मचारीवृन्द की शिकायतें दूर करने के लिए तंत्र।

(घ) कर्मचारीवृन्द कल्याण जिसके अन्तर्गत खेल-कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, गृह कल्याण केन्द्र, कैन्टीनें, सहकारी स्टोर आदि हैं।

(ङ) सरकार-कर्मचारी संबंधों के बारे में अन्य मामले जिन का इस विभाग के संबंध में किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत प्रावधान नहीं है।

VII. संघ लोक सेवा आयोग

40. संघ लोक सेवा आयोग

VIII. भारतीय प्रशासनिक सेवा, अवर मंत्रालय संवर्ग, जिसके अन्तर्गत उनके सदस्यों की भविष्य विषयक योजना आती है, के प्रबन्ध के केन्द्रित पहलू।

41. (क) नयी अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन।

(ख) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अधीन नियम और विनियम।

(ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसके अन्तर्गत भारतीय सिविल सेवा है, से संबद्ध सभी मामले।

(घ) अखिल भारतीय सिविल सेवा सूची और सेवाओं का इतिहास।

(ङ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा।

IX. भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना

42. (क) अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकारी सेवा के लिए भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना के संबंध में साधारण नीति विषयक प्रश्न।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिये भविष्य विषयक योजना और जनशक्ति योजना से संबद्ध सभी ...

X. कार्मिक प्रबन्ध अभिकरण

43. विभिन्न मंत्रालयों के भीतर प्रबंध अभिकरणों के काम का समन्वय।

XI. कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, आदि

44. कार्मिक प्रशासन में अनुसंधान, कार्मिक संबंधी मामलों में राज्य सरकारों, वृत्तिक संस्थाओं आदि के साथ संपर्क।

XII. राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप कार्मिकों का आबंटन और सेवाओं का एकीकरण

45. (क) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा कार्मिकों का आबंटन।

(ख) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित सेवा का संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न में, विभाजन और एकीकरण।

(ग) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित कार्मिकों की सेवा की शर्तों का संरक्षण।

(घ) राज्यों के पुनर्गठन से प्रभावित राज्य सेवाओं से संबद्ध अन्य मामले।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

1. प्रशासनिक सुधार।

2. संगठन और पद्धति।

3. निम्नलिखित से संबंधित मामलों के बारे में नीति और समन्वय

(i) सामान्यत: लोक शिकायतों का निवारण और

(ii) केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों से संबंधित शिकायतें ।

(ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सेवा-निवृत्ति लाभों की, निम्नलिखित सहित, सभी योजनाओं का प्रशासन :—

(i) उपदान;

(ii) पेंशन नियम [केन्द्रीय सेवाएं (पेंशन) नियम, 1972, सेना पेंशन विनियम 1961 (भाग 1 और 2) वायु सेना पेंशन विनियम 1961, नौसेना (पेंशन) विनियम 1964, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का सारांशीकरण, निशक्यता पेंशन, परिवार पेंशन];

(iii) पेंशन वांचा और पेंशनभोगियों को सहायता;

(iv) सरकारी पेंशनभोगियों को नई सुविधाएं अथवा अनुषंगी हितलाभ;

(v) पेंशन नियमों/सेवा-निवृत्ति लाभों से संबंधित अन्य नियमों के संशोधन/शिथिलीकरण से संबंधित मामले ।

उपर्युक्त (iii) के संबंध में कार्यवाही, वित्त मंत्रालय के परामर्श से एवं उनकी सहमति से की जाएगी । उपर्युक्त (iv) और (v), जिनमें महत्वपूर्ण आवर्ती वित्तीय निहितार्थ निहित हों अथवा जो प्रमुखत: वित्तीय प्रकृति के हों, के संबंध में कार्यवाही केवल वित्त मंत्रालय के परामर्श से एवं उनकी सहमति से ही की जाएगी ।

2. रेल मंत्रालय द्वारा प्रशासित पेंशन के मामले विभाग के क्षेत्राधिकार से बाहर रहेंगे ।

(ii) शीर्ष "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" और उसके अंतर्गत प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

जैल सिंह

राष्ट्रपति

[सं. 74/2/1/85-मंत्रि.]

एल. आर. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 15th March, 1985

NOTIFICATION

S.O. 192(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely :—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and sixty-seventh Amendment) Rules, 1985.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,—

(a) in the First Schedule,—

(i) after the heading "17A. Ministry of Parliamentary Affairs (Sansadiya Karya Mantralaya)". the following heading and sub-headings shall be inserted, namely :—

"17AA. Ministry of Personnel and Training, Administrative Reforms and Public Grievances and Pension (Karmik aur Prashikshan, Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat tatha Pension Mantralaya)" :

(i) Department of Personnel and Training (Karmik aur Prashikshan Vibhag).

(ii) Department of Administrative Reforms and Public Grievances (Prashasanik Sudhar aur Lok Shikayat Vibhag).

(iii) Department of Pension and Pensioners' Welfare (Pension aur Pension Bhogi Kalyan Vibhag)";

(ii) the heading "30. Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag)" shall be omitted.

(b) in the Second Schedule,—

(i) after the heading "MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SANSADIYA KARYA MANTRALAYA)" and the entries thereunder, the following heading and entries shall be inserted, namely :—

"MINISTRY OF PERSONNEL AND TRAINING, ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION (KARMIK AUR PRASHIKSHAN, PRASHASANIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT TATHA PENSION MANTRALAYA) :

A. DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING (KARMIK AUR PRASHIKSHAN VIBHAG)

I. Recruitment, Promotion and Morale of the Services.

1. Reservation of posts in Services for certain classes of citizens.

2. General questions relating to recruitment, promotion and seniority pertaining to Central Services except Railways Services and Services under the control of the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical Services under the Department of Defence Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag):

3. General policy regarding age limits, medical standards, educational qualifications and recognition of non-technical degrees/diplomas for appointment to Government service.

4. General policy matters regarding classification of posts and grant of gazetted status in relation to Services other than Railway Services.

5. Recruitment of ministerial staff for the Government of India Secretariat and its attached offices except that for the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

6. Appointment of non-Indians to Civil posts under the Government of India except posts under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

7. General policy regarding employment assistance to persons of Indian origin coming from various countries.

8. Concessions to War Service candidates in respect of appointments to Civil posts and services.

9. General policy regarding resettlement of displaced Government servants from areas now in Pakistan, and retrenched temporary employees.

10. Concessions to political sufferers in the matters of first appointment or reappointment to the Public Services.

11. General policy regarding grant of extension to or re-employment of superannuated officers.

12. Issue of certificates of eligibility for appointment of Civil Services and posts under the Union in respect of persons other than Indian citizens.

13. (a) Deputation of Indian experts abroad under the Indian Technical and Economic Cooperation Programme of the Ministry of External Affairs (Videsh Mantralaya) and on bilateral basis of the developing countries of Asia, Africa and Latin America.

(b) Deputation of officers or placements with the United Nations and its allied agencies as also with other international agencies like ILO, FAO, etc.

14. General policy regarding verification of character and antecedents-suitability of candidates for appointment to Government service.

15. Policy matters relating to issue of No Objection certificate to serving personnel for registration with the Employment Exchange for higher posts.

16. Matters relating to Personal Staff of Ministers.

17. Re-deployment of staff renederd surplus in Central Government offices as a result of :—

(i) administrative reforms.

(ii) studies made by the S.I.U.

(iii) winding up of long term but temporary organisations.

18. Advising Ministries on proper management of various cadres under their control.

II. Training.

19. (a) Formation and coordination of training policies for the All India and Central Services.

(b) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration and Institute of Secretariat Training and Management.

(c) Training programmes for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

(d) Preparation and publication of training material and of information of training techniques, facilities and programmes.

(e) Liaison with training institutions within the States and abroad.

(f) Refresher and special courses for Middle and Senior Management levels.

III. Vigilance and Discipline.

20 (a) The Prevention of Corruption Act, 1947 ; the Central Bureau of Investigation (the Delhi Special Police Establishment including the Legal Division, the Technical Division, the Policy Division and the Administration Division) ; the Food Offences Wing; and Economic Offences Wing.

(b) Accord of sanction for the prosecution of any person for any offence investigated into by the Delhi Special Police Establishment where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

Note : Sanction for the prosecution of any person for any offence not investigated into by the Delhi Special Police Establishment shall be accorded by the Administrative Department where such sanction is required to be accorded by the Central Government.

(c) Central Vigilance Commission.

(d) All policy matters pertaining to vigilance and discipline among public servants.

(e) Relationship between Members of Parliament and the Administration.

IV. Service Conditions.

21. General questions (other than those which have a financial bearing) including Conduct Rules relating to All India and Union Public Services except in regard to services under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of

Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), and the Department of Space (Antariksh Vibhag).

22. Conditions of service of Central Government employees [excluding those under the control of the Ministry of Railways (Rail Mantralaya), the Department of Atomic Energy (Parmanu Oorja Vibhag), the Department of Electronics (Electroniki Vibhag), the Department of Space (Antariksh Vibhag) and the Scientific and Technical personnel under the Department of Defence, Research and Development (Raksha Anusandhan Tatha Vikas Vibhag)], other than those having a financial bearing and in so far as they raise points of general service interests.

23. (a) The administration of all service rules including F.Rs., S.Rs. and C.S.Rs. (but excluding those relating to Pension and other retirement benefits) except—

(i) proposals relating to revisions of pay structure of employees;

(ii) proposals for revisions of pay scales of Central Government employees;

(iii) appointment of Pay Commission, processing of the recommendation and implementation thereof;

(iv) dearness allowance and other compensatory allowances and travelling allowances:

(v) any new facility to Government employees by way of service conditions or fringe benefits which involve significant recurring financial implications; and

(vi) matters relating to amendments to service rules having a predominantly financial character.

(b) Initiation of proposals for new facility to Government employees by way of service conditions and fringe benefits involving significant recurring financial implications.

(c) Issue of formal orders of the Government of India in matters relating to amendments to service rules including those having a predominantly financial character referred to in item (vi) of clause (a).

(d) Relaxation and liberalisation of any service rules having a long-term financial implications in consultation with the Ministry of Finance.

24. Grants to the Indian Institute of Public Administration.

25. Leave travel concession for civil employees other than Railway employees.

26. The Central Services (Temporary Service) Rules, 1949.

27. General policy regarding retrenchment and revision of temporary Government servants except those under the Ministry of Railways (Rail Mantralaya).

28. Administration of the Central Services (Safeguarding of National Security) Rules.

29. Uniforms for Class IV and other Government servants in the Central Secretariat, and its attached offices.

30. Working Hours and Holidays for Government of India offices.

31. Administration of service rules with financial content under specific delegation made by the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

32. Advice on proposals in respect of the Ministry of Finance (Vitta Mantralaya) relating to the number or grade of posts to the strength of a service or to the pay and allowances of Government servants or any other conditions of their service having financial implications.

33. General policy regarding reimbursement of legal expenses incurred by Government servants.

34. Proposals for grant of ex-officio Secretarial status.

35. Honorary appointments of persons in civil posts.

36. Oath of allegiance to the Constitution.

V. Senior and Middle Management.

37. All aspects of Senior Management (i.e. Joint Secretaries and above and their equivalents) including developments of personnel for it.

38. (a) Establishment Officer to the Government of India.

(b) Appointments Committee of the Cabinet.

(c) Central Establishment Board.

(d) Career Development for Middle Management (i.e. Directors, Deputy and Under Secretaries and equivalents).

VI. Government Employees Relations, including Staff Grievances and Welfare.

39. (a) Service Associations of the industrial and non-industrial employees of the Government of India.

(b) Joint Consultative Machinery; Departmental Council for the Department of Personnel and Administrative Reforms (Karmik aur Prashasanik Sudhar Vibhag).

(c) Machinery for the redress of staff grievances.

(d) Staff welfare including sports, cultural activities, Grih Kalyan Kendras, Canteens, Cooperative Stores, etc.

(e) Other matters involving Government Employees relations not specifically provided for under any other entry relating to the Department.

VII. Union Public Services Commission

40. Union Public Service Commission.

VIII. Centralised aspects of Managing IAS, Inter-Ministry cadres, including a Career Planning for the members thereof.

41. (a) Creation of new All India Services.

(b) Rules and Regulations under the All India Services Act, 1951.

(c) All matters relating to the Indian Administrative Service including the Indian Civil Service.

(d) All India Civil List and History of Services.

(e) Central Secretariat Service, Central Secretariat Stenographers' Service and Central Secretariat Clerical Service.

IX. Career Planning and Manpower Planning.

42. (a) General policy questions regarding Career Planning and Manpower Planning for the All India and Central Government Services.

(b) All matters pertaining to Career Planning and Manpower Planning for the Indian Administrative Service and the Central Secretariat Service.

X. Personnel Management Agencies.

43. Coordination of the work of personnel management agencies within various Ministries.

XI. Research in Personnel Administration etc. :

44. Research in Personnel Administration; liaison with State Governments, professional Institutions etc., in personnel matters.

XII. Allocation of personnel and integration of Services as a Result of States re-organisation.

45. (a) Allocation of service personnel affected by re-organisation of States.

(b) Division and integration of services affected by the re-organisation of States other than in Union Territories.

(c) Protection of service conditions of personnel affected by re-organisation of States.

(d) Other matters relating to State Services affected by the re-organisation of States.

B. DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES (PRASHASNIK SUDHAR AUR LOK SHIKAYAT VIBHAG)

1. Administrative Reforms.

2. Organisation and methods.

3. Policy and Coordination of issues relating to (i) Redressal of Public Grievances in general; and (ii) Grievances pertaining to Central Government agencies.

C. DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS' WELFARE (PENSION AUR PENSION BHOGI KALYAN VIBHAG)

1. Administration of all schemes relating to retirement benefits to Central Government employees including—

(i) Gratuity;

(ii) Pension rules Central Service (Pension) Rules 1972, Pension Regulations for Army 1961 (Parts I and II). Pension Regulations for Air Force 1961, Navy (Pension) Regulations 1964, Freedom Fighters Pension, Commutation of Pension, Disability Pension, Family Pension];

(iii) Pension structure and relief to pensioners;

(iv) New facilities or fringe benefits to Government pensioners; and

(v) Matters relating to amendment/relaxation of Pension Rules/other rules concerning retirement benefits.

The action in respect of (iii) above will be in consultation with and subject to concurrence by Ministry of Finance (Vitta Mantralaya). The action in respect of (iv) and (v) above involving significant recurring financial implications or having predominently financial character only will be in consultation with and subject to concurrence by Ministry of Finance (Vitta Mantralaya).

2. Pension matters which are administered by the Ministry of Raliways (Rail Mantralaya) will be outside the purview of the Department.

(ii) the heading "DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS (KARMIK AUR PRASHASANIK SUDHAR VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted.

ZAIL SINGH
President.

[No. 74/2/1/85-Cab.]
L. R. K. PRASAD, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985